न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2024/372 दर्ज तिथिः–14.08.2024

1. हरूराम पुत्र मुगलाराम
   जाति विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

...........अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री जगदीश कड़वासरा
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–26.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–
   - खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1644/1330/3.3282 है0 मौजा उदाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी मूल खसरा संख्या 1644 से विभक्त होकर बना है।
   - प्रार्थी द्वारा मूल खसरा संख्या 1644/3.4901 है0 में से रकबा 0.1619 है0 भूमि सार्वजनिक श्मशान घाट हेतु समर्पित की गई थी। उक्त समर्पित भूमि का समर्पण आदेशानुसार खसरा संख्या 1330/1 आवंटित किया गया।
   - उक्त समर्पित रकबे की तरमीम पड़ोसी खातेदार द्वारा पूर्व में सार्वजनिक श्मशान हेतु खसरा संख्या 1341/4 में से समर्पित भूमि के समानांतर लम्बाई में की जानी थी। जिससे पूर्व में सार्वजनिक श्मशान हेतु समर्पित भूमि के समानांतर प्रार्थी द्वारा सार्वजनिक श्मशान हेतु समर्पित भूमि जोड़ी जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:48 IST
Reason: SelfAttested

सार्वजनिक श्मशान के उपयोग में ली जा सके। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा समर्पण आदेश के अनुसार तरमीम नहीं करते हुए राजस्व नक्शे में गलत तरमीम अंकित कर दी है। जिससे मौके व वर्तमान राजस्व नक्शा में भिन्नता आ गई।

- प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी पर मौके पर काबिज काश्त हैं तथा मौके पर रहवासी ढाणियां, चारवाडे व टांके बने हुए हैं। उक्त सार्वजनिक श्मशान हेतु समर्पित भूमि पर वर्तमान में ग्राम पंचायत द्वारा चारदीवारी बनाकर पेड़ पौधे लगा दिये हैं एवं प्रार्थी मौके पर संलग्न परिशिष्ट—अ के अनुसार काबिज है। परन्तु वर्तमान तरमीम व मौके पर भिन्नता है।

2. असल में प्रार्थी व सार्वजनिक श्मशान की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1644 / 1330 एवं सार्वजनिक श्मशान हेतु समर्पित भूमि खसरा संख्या 1341 / 4 का वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू—नक्शा में तरमीम दुरूस्त की जाकर प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:48 IST
Reason: SelfAttested

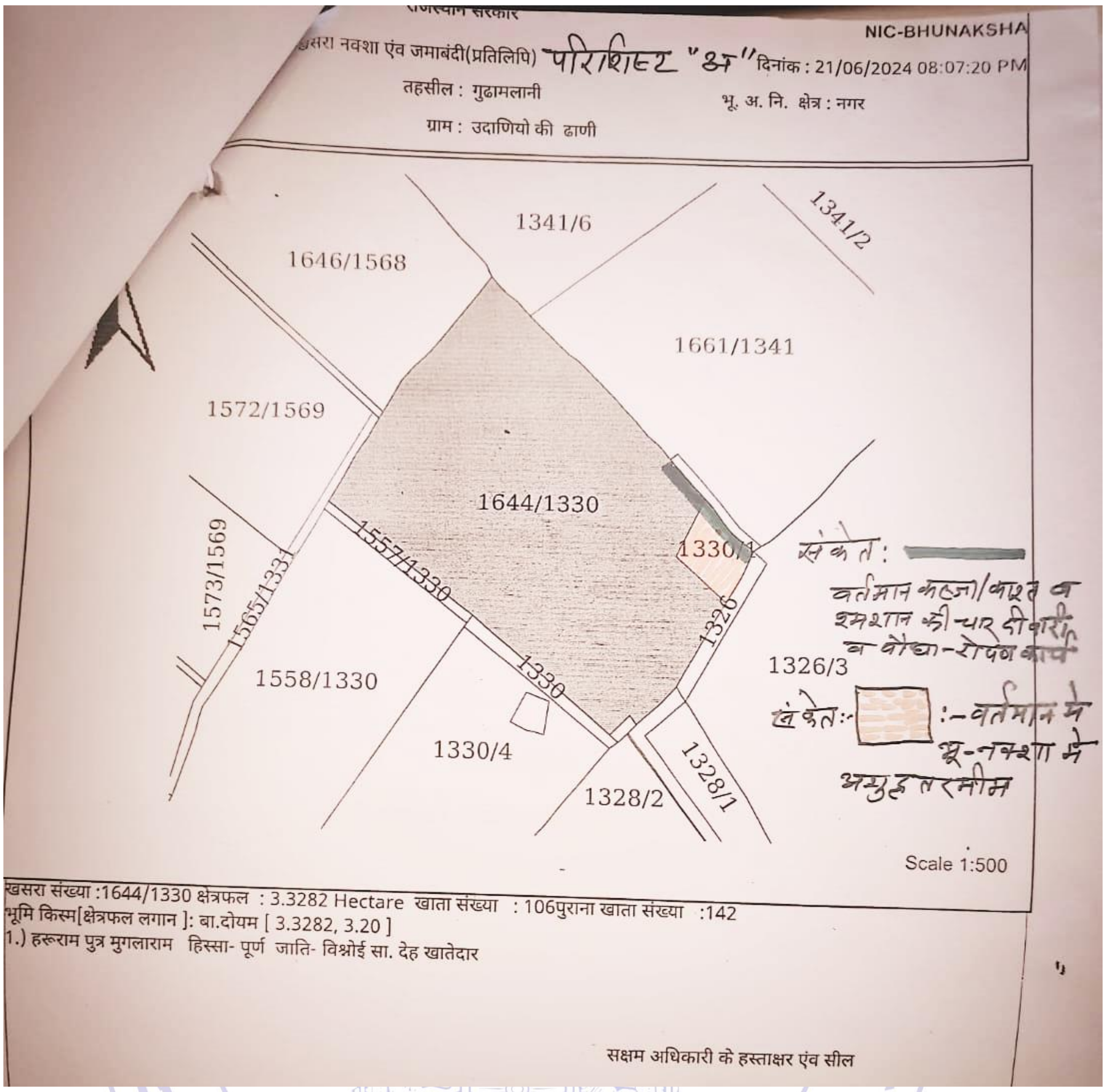

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक/भू.अ./2024/2318 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक/भू.अ./2024/2318 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:48 IST
Reason: SelfAttested

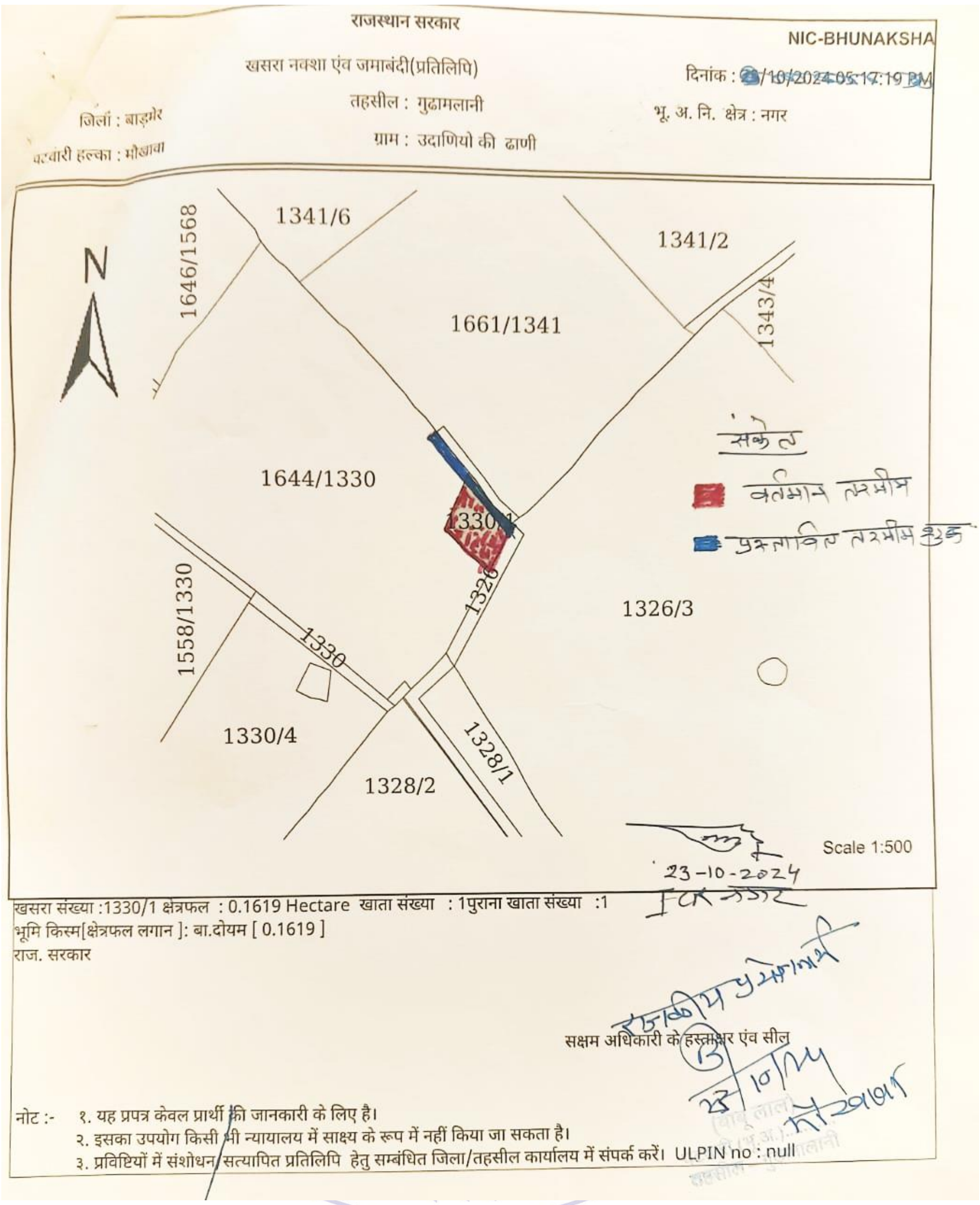

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2318 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. उक्त आराजी के खसरे की तरमीम मौके पर वास्तविक रूप से चाल / संलग्न परिशिष्ट—अ में हरे रंग से दर्शित भूमि के विपरीत अंकित की गई है।
   2. उक्त आराजी के खसरे के मौके पर वास्तविक रूप से चाल / संलग्न परिशिष्ट—अ में हरे रंग से दर्शित भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा चारदिवारी का निर्माण किया गया है।
   3. उक्त आराजी के मूल खसरे से बने हाल खसरे की तरमीम को वास्तविक निर्माण परिशिष्ट—अ के अनुसार तरमीम दुरूस्त किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:48 IST
Reason: SelfAttested

जाना उचित है। संलग्न नक्शे में वर्तमान में मौजूद तरमीम व प्रस्तावित सही तरमीम को दर्शाया गया है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2318 दिनांक 21.11.2024के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2318 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2318 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक/भू.अ. /2024/2318 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:48 IST
Reason: SelfAttested